पशुस्वास्थ्य–अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज., जयपुर

कमांकः एफ.वी.12(5)ऐपिडी/रोगप्रकोप/2016–17/8333 दिनांक :20-12-16

परिपत्र

मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण प्रदेश में धीरे–धीरे सर्दी बढने व वर्तमान में दिन व रात्रि के तापक्रम में आ रहे परिवर्तन (Fluctuation) से पशुओं के स्वास्थ्य एवम् उत्पादन पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव तथा पशुरोगों की संभावना के मध्यनजर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोगों की रोकथाम हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. शीत ऋतु में होने वाले रोगों से पशुधन के बचाव हेतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को तत्पर, सक्रिय एवं संवेदनशील रह कर विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त पशुरोग संबंधित सूचनाओं पर त्वरित रोग नियंत्रण/राहत कार्य सम्पन्न कराये जावें। मोबाइल चिकित्सा दलों को सक्रिय रखते हुये पशुरोग संबंधित सूचना प्राप्ति एवं रोग निदान–नियंत्रण/राहत कार्य में लगने वाले समय को न्यूनतम किया जावे (minimize response time)।
2. सम्भावित पशुरोगों की रोकथाम एवं उपचार हेतु आवश्यक टीकों एवं औषधियों की उपलब्धता पशुचिकित्सा केन्द्रों तक सुनिश्चित कराते हुए आपातकालीन स्थिति के लिये इनकी पर्याप्त मात्रा जिला स्तर पर भी आरक्षित रखी जावे।
3. सर्दी के मौसम में गलघोंटू, पी.पी.आर, भेडमाता इत्यादि संक्रामक रोगों की संभावना अधिक रहती है। अतः संक्रमक रोगों की रोकथाम हेतु एन्डेमिक क्षेत्रानुसार आवश्यक टीकाकरण कराया जावे तथा पशुपालकों को इन रोगों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक बनाया जावे।
4. अति संक्रमणीय रोग यथा एवियन इन्फलूऐन्जा, ईक्वाइन इन्फलूऐन्जा, बोवाइन–स्पॉन्जीफार्म एन्सेफेलोपैथी (BSE), पशुमाता (RP), सी.बी.पी.पी. इत्यादि का नियमित सर्वेक्षण किया जावे एवं नमूनों का संकलन, प्रिजर्वेशन तथा संप्रेषण कार्य वैज्ञानिक विधि एवं निर्धारित मापदण्डानुसार किया जावे।
5. क्षेत्र के जल स्त्रोतों (वाटर बॉडीज), अभयारण्यों, वेट मार्केट तथा व्यवसायिक मुर्गी फार्मों से एवियन इन्फलूऐन्जा के सर्वेक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्यानुसार प्राथमिकता से सैम्पल्स का संकलन कर सम्बन्धित प्रयोगशालाओं को नियमित रूप से अग्रेषित किये जावें।
6. ब्रुसेलोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गत रोग सर्वेक्षण एवं टीकाकरण का कार्य आंवटित लक्ष्य एवं कार्यक्रम की मार्गदर्शिकानुसार तत्परता से पूर्ण करावें।
7. विभिन्न कारणों से पशु प्रभावित होने/रोग प्रकोप/पशु मृत्यु के क्रम में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में "एक्शन टेकन रिपोर्ट" संयुक्त निदेशक पशुरोग नियंत्रण को ई–मेल (ddepid_dahjpr@yahoo.co.in)/फैक्स (0141-2740398) द्वारा प्रेषित की जावे। स्थिति सामान्य होने पर घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रारूप में भिजवाई जावे तथा होने वाले पशुरोगों की सूचना ए.डी.एस. एवम् एफ.एम.डी. की मासिक रिपोर्ट में आवश्यक रूप से सम्मिलित की जावे। विभागीय स्त्रोत के बजाय अन्य जगह से रोग प्रकोप की सूचना की पुष्टि होने की स्थिति में संबंधित जिला संयुक्त निदेशक की उदासीनता मानी जावेगी।

लगातार.....2.....

8. जिला स्तरीय मोबाईल इकाईयों का उपयोग कर शीतकालीन पशुरोगों से बचाव हेतु आवश्यक टीकाकरण एवं उपचार कार्य सम्पादित करावें।
9. वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 33 के तहत राष्ट्रीय अभयारण्यों की सीमाओं के 10 कि.मी. की परीधि में आने वाले समस्त पशुधन को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधक टीके वन विभाग के सहयोग से समय पर लगवाये जावे।
10. विभिन्न वैक्सीन एवं औषधियों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु इनका भण्डारण, परिवहन एवं उपयोग उपयुक्त तापमान पर किया जावे अर्थात कोल्डचेन संधारण का पूरा ध्यान रखा जावे। इस हेतु वॉक इन कूलर एवं जनरेटर कार्यशील स्थिती में कनेक्टिविटी के साथ रखा जावे। टीकों एवं औषधियों के समयबद्ध वितरण एवम् उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जावे।
11. आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेसनोट प्रकाशन, पम्पलेट वितरण, पशुधन प्रदर्शनी, पशुपालक गोष्ठियों जैसे विस्तार माध्यमों का उपयोग करते हुए शीत ऋतु में पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों से बचाव के उपायों के संबंध में पशुपालकों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जावे।
12. गौशालाओं में संधारित पशुधन का सामयिक एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण निकटवर्ती पशुचिकित्सक से कराते हुए टीकाकरण, डीवर्मिंग, उपचार इत्यादि कार्य गौशाला प्रबन्धन के सहयोग से सुनिश्चित किया जावे। जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक द्वारा माह में कम से कम 5 प्रतिशत गौशालाओं का निरीक्षण कर पशुस्वास्थ्य गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जावे।
13. विगत वर्षों में शीत ऋतु में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चुरू, झुन्झुंनु, कोटा, उदयपुर, नागोर इत्यादि जिलों में ऊंटों में श्वसन तंत्र सम्बन्धी बीमारियां पाई गई थी जिसमें नाक से स्त्राव, खांसी, निमोनिया, तेज बुखार, श्वांस लेने मे तकलीफ तथा जोडों में अकडन इत्यादि लक्षण प्रमुखतया पाये गये थे। अतः उष्ट्र सम्पदा की स्वास्थ्य रक्षा हेतु विशेष निगरानी रखी जावे। ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्धारित शिविरों का आयोजन पूर्व में प्रसारित निर्देशानुसार शीघ्रता से कराये जावे।

(डॉ. भवानी सिंह राठौड़)
अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य

कमांकः एफ.वी.12(5)ऐपिडी/रोगप्रकोप/2016–17/8334-394 दिनांक : 20-12-16

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
3. निदेशक, गोपालन विभाग, जयपुर।
4. अति० निदेशक, दवा प्रकोष्ठ/उत्पादन/फार्म एवं सम्पदा/मोनेटरिंग, निदेशालय।
5. अति. निदेशक बी.पी.लैब, प.पा.वि. जामडोली, जयपुर।
6. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
7. समस्त जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य रोग निदान केन्द्र, पशुपालन विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, प्रजनन एवं गौशाला/उपनिदेशक विस्तार, निदेशालय।
10. समस्त उप. निदेशक क्षे.रो.नि.केन्द्र/कुक्कुट रो.नि.के. पशुपालन विभाग, राजस्थान।

संयुक्त निदेशक,पशुरोग नियंत्रण